<u>कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील/आरटीआई/06/2026

चेतन प्रकाश बंसल निवासी राजकीय बालिका उ0 मा0 विद्यालय के पास, रूदावल, तहसील रूदावल जिला भरतपुर राज0 पिन कोड 321402 मो.नं. 6375025071

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूदावल **.......रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>दिनांक 26.02.2026</u>

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी चेतन प्रकाश बंसल निवासी राजकीय बालिका उ0 मा0 विद्यालय के पास, रूदावल, तहसील रूदावल जिला भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2026/94 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूदावल से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूदावल का जबाब पत्र क्रमांक स्था./26/77 दिनांक 20.02.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। बिन्दु सं. 1 के सन्दर्भ में अपने जबाब में कथन किया है कि ''.......प्रार्थी द्वारा चाही गई गाडी सं RJ05UA3193 की लॉगबुक की प्रविष्टियों की 01 मार्च 2025 से 31 जुलाई 2025 तक की सत्यापित प्रति चाही गई थी। उक्त

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील/आरटीआई/06/2026
चेतन प्रकाश बंसल बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार रूदावल

लॉगबुक इस कार्यालय के पत्रांक 399 दिनांक 08.10.2025 से गाडी जमा के साथ लॉगबुक भी जिला कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है। लॉगबुक जमा कराने के सम्बन्ध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 16 दिनांक 12.01.2026 द्वारा सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है।....'' अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 की सूचना के सन्दर्भ में लॉगबुक जिला कार्यालय में जमा कराये जाने बाबत जरिये पत्र सूचित किया गया है। जबकि नियमान्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जिला कार्यालय/सूचना से सम्बन्धित कार्यालय को भिजवाया जाकर प्रार्थी को सूचित किया जाना चाहिये था। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्रों में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर वॉछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूदावल को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की ज़ा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर